

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.00किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 2.295 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो०नि०वि०को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-2.205 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.090 है० कुल 2.295 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास VI के अर्न्तगत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,97,000=00(रू० आठ: लाख सतानब्बे हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 20,58,615=00(रू० बीस लाख अठ्ठावन हजार छः सौ पन्द्रह मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन विभाग, मसूरी